कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना(म0प्र0)

दूरभाष कमांक--07532--232694

{फॉर्म्स एवं पंजी छपवाए जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना}

5061

कमांक.. ..../ दो–21–4 / 2010 / ग्रंथालय **मुरैना, दिनांकः–27/09/24**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के कार्यालयीन एवं न्यायालयीन उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निम्नानुसार फॉर्म्स एवं पंजी छपवाए जाने हेतु प्रिंटिंग प्रेस प्रोपराइटरों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:–

स.क.	फॉर्म्स का नाम	कागज की मोटाई	इंडेंट नंबर	कय हेतु प्रस्तावित मात्रा
1	साक्षी का समंन	70 जी.एस.एम.	V-121/crjE	50000
2	गिरफ्तारी वारण्ट	70 जी.एस.एम.	V-137/Cr.J.(H)	100000
3	टाइटल पेज	280 जी.एस.एम.	V-202/Cr.J	6000
4	कोषालय व्हाउचर पर्ची	70 जी.एस.एम.	1- लेखा -171	2000
5	BUDGE CONTROL, E.D.P. SLIP	70 जी.एस.एम.	-	2000
स.क.	**पंजी का नाम**	**कागज की मोटाई**	**इंडेंट नंबर**	**कय हेतु प्रस्तावित मात्रा**
1.	आवक जावक पंजी	70 जी.एस.एम.	II-34	150
2.	स्टेशनरी डिलेवरी बुक	70 जी.एस.एम.	XV-OR-9	150
3.	आपराधिक मामलो का अभिलेख कक्ष रजि.	70 जी.एस.एम.	V-83	100
4.	हलफनामा	70 जी.एस.एम.	II-4	15
5.	AC-215	70 जी.एस.एम.	AC-215	10
6.	रजि. पंजी	70 जी.एस.एम.	II-57	10
7.	क्लासीफिकेशन रजिस्टर	70 जी.एस.एम.	II-50	5

इच्छुक प्रिंटिंग प्रेस प्रोपराइटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना के कार्यालय अनुभाग से ई–टेंडर/निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्तकर दिनांक–21.10.2024 के सायंकाल 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में **"प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना"** के नाम से आवक–जावक शाखा में अथवा कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना की ई–मेल आई.डी. कमांक– dcourtmor-mp@nic.in के माध्यम से निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा तथा प्राप्त निविदाओं को दिनांक–22.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे विभागीय कय समिति द्वारा खोला जावेगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार कय समिति को होगा।

संलग्नः–निविदा की शर्तें।

प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग/
षष्टम जिला न्यायाधीश
मुरैना(म0प्र0)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना(म0प्र0)

दूरभाष कमांक–07532–232694

{फॉर्म्स एवं पंजी छपवाए जाने बाबत निविदा शर्तें}

1. सील बंद निविदाएं ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना'' के नाम से प्रेषित की जाना चाहिए।
2. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से फॉर्म्स एवं पंजी छापे जाने हेतु निविदा लिखा जाना चाहिए।
3. नियत समयावधि के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. आदेशानुसार छापी गई सामग्री प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना के स्टॉक रूम तक पहुंचाने का समस्त उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं एवं छपाई हेतु सामग्री को आवश्यकतानुसार निर्धारित संख्या से कम अथवा अधिक कर सकते हैं।
6. निविदा में प्रत्येक सामग्री के उत्पादक, कंपनी का नाम, साईज, नाप, तौल, कीमत आदि का विवरण देना अनिवार्य होगा।
7. प्रदाय की गई छपी हुई सामग्री निविदा में उल्लिखित गुणवत्ता की नहीं होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सभी सामग्री निविदाकर्ता को अपने स्वयं के व्यय पर वापस उठानी होगी तथा निविदा में उल्लिखित गुणवत्ता के अनुसार सामग्री कय आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रदाय करनी होगी।
8. निविदा की दरें दिनांक 31.03.2025 तक मान्य होंगी।
9. निविदाकर्ता का जीएसटी पंजीयन होने के साथ–साथ वाणिज्यिक विभाग में पंजीयन होने के जीवित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
10. सभी सामग्री के नमूने निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोद्य मुरैना को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. सभी सामग्री की दरें उस पर देय समस्त करों (जीएसटी) सहित दी जावें।

प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग /
षष्टम जिला न्यायाधीश
मुरैना(म0प्र0)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर,
नाम एवं पताः–

....

....

....